राष्ट्रीय परामर्श

सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ित पुनर्वास) विधेयक, 2009

12, 13 फरवरी 2010, नई दिल्ली

सांप्रदायिक हिंसा के बारे में अलग कानून की मांग हमारे देश में बार-बार हिंसा के बर्बर रिकार्ड, सांप्रदायिक संघर्षों में बढ़ते हुए लिंग अपराधों और सामूहिक अपराधों की पूरी तरह से अनदेखी किए जाने के मद्देनजर उठाई गई है। इस स्थिति में कई कारण हैं-अपराधियों पर मुकद्दमा चलाने के लिए राजनीति इच्छा शक्ति का अभाव, सांप्रदायिक अपराधों में शासन की मिली-भगत, निष्पक्ष जांच का अभाव, पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव। इस सबके साथ कानून की अपर्याप्तता तो है ही। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए जाने के बावजूद भारत में पर्याप्त घरेलू कानूनी फ्रेमवर्क नहीं बन पाया है जिसकी मदद से सांप्रदायिक हिंसा के बचे लोग न्याय मांग सकें और प्राप्त कर सकें।

यू पी ए सरकार के 2004 के सांझे न्यूनतम कार्यक्रम में देश के नागरिकों को व्यापक कानून उपलब्ध कराकर इस कमी को पूरा करने का वायदा किया गया था। हमें ऐसा कानून उपलब्ध कराने की बात की गई थी जिससे सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष में नागरिकों के हाथ मजबूत होंगे। राज्य सभा में 5 दिसंबर, 2005 को प्रस्तुत किए गए सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ित पुनर्वास) विधेयक 2005 ने इस वायदे को पूरी तरह से तोड़ दिया। सिविल समाज ने सभी स्तरों पर 2005 विधेयक की कड़ी आलोचना की और उसे अस्वीकार कर दिया। प्रतिष्ठित न्यायविदों, कानूनी विशेषज्ञों और बचे लोगों के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं और सभी प्रमुख अल्पसंख्यक समूहों ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया और सरकार से इसमें गंभीर परिवर्तन करने का आग्रह किया। इसके बाद विधेयक घरेलू मामलों संबंधी स्थायी संसदीय समिति को समीक्षा और सिफारिशों के लिए भेजा गया। दिसंबर, 2006 में संसद के पटल पर रखी गई स्थायी समिति की रिपोर्ट में किसी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया गया है।

2005 से लेकर अब तक सिविल समाज समूहों ने विभिन्न स्तरों पर सरकार से बार-बार संपर्क किया और उसे विधेयक के प्रति हमारी गंभीर आपत्तियों की जानकारी दी। हमने समीक्षाएं लिखीं हैं, वैकल्पिक प्रस्तुतियां की हैं, वैकल्पिक मसौदा कानून लिखे हैं, कई अध्यायों और खंडों में परिवर्तनों का सुझाव दिया है। सिविल समाज समूह पिछले 4 सालों में यू पी ए चेयरपर्सन, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और गृहमंत्रालय के अधिकारियों, संसद सदस्यों से मिले हैं। लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है।

अब यू पी ए सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा विधेयक में बहुत आकर्षक लगने वाले 59 संशोधन प्रस्तुत किए हैं। इन्हें मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और हमें बताया गया है कि इसे संसद के आगामी सत्र में पेश कर दिया जाएगा। इन 59 संशोधनों ने विधेयक में मामूली फेरबदल किया है। उसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया गया है और सिविल समाज द्वारा दिए गए एक भी सुझाव को शामिल नहीं किया गया है।

यह सांप्रदायिक हिंसा विधेयक 2009 यदि पास कर दिया गया तो वह बहुत कमजोर और खतरनाक विधान होगा। इससे

न केवल सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ न्याय नहीं मिलेगा बल्कि इन अपराधों को करने वाले लोगों को सुरक्षा मिलेगी और उनकी स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा लिंग आधारित यौन अपराधों पर खामोशी की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

हमारे समाज के धर्म निरपेक्ष स्वरूप के सामने चुनौती से निपटने और हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से इस विधेयक का बुनियादी महत्त्व है। सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ित पुनर्वास) विधेयक 2009 की बाबत इस राष्ट्रीय परामर्श के अवसर पर हम अधोहस्ताक्षरी यू पी ए सरकार से फिर आग्रह करते हैं कि वह इस व्यापक राष्ट्रीय परामर्श में मुखरित सरोकारों को शामिल करने के लिए विधेयक में संशोधन करे :

1. उद्देश्यों और कारणों का कथन : विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सांप्रदायिक हिंसा के निवारण और नियंत्रण के उपाय करें जिसने नागरिकों की शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मानवीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।

2. सांप्रदायिक हिंसा की परिभाषा यह हो : धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के जान-माल पर लक्ष्य बद्ध हमला जिसका अनुमान प्रत्यक्ष रूप से या हमले के स्वरूप या परिस्थितियों से लगाया जा सकता है।

3. अनुसूचित अपराध : सांप्रदायिक हिंसा की स्थितियों से स्पष्ट होता है कि इसमें किए गए अपराध आई पी सी और दूसरे संबंधित विधानों में गिनाए गए अपराधों तक सीमित नहीं होते। विधेयक में अपराधों को परिभाषित किया जाना चाहिए और नए नियमों तथा प्रक्रियाओं में सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों और बचे लोगों द्वारा झेले गए अपराधों की वास्तविकता की पर्याप्त और समुचित अभिव्यक्ति होनी चाहिए।

4. सांप्रदायिक रूप से अशांत क्षेत्रों की घोषणा : विधेयक की मूल योजना के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को सांप्रदायिक रूप से अशांत क्षेत्र घोषित करने और इन क्षेत्रों में शासन को अधिक शक्तियां देने की जो बात की गई है वह प्रस्तावित कानून के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। विधेयक के अध्याय दो को हटाया जाना चाहिए। कानून ने शासन को पहले ही पर्याप्त शक्ति दे रखी है। लेकिन अनुभव बताता है कि सांप्रदायिक हिंसा के दौरान इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता या उसका न्यायपूर्ण प्रयोग नहीं किया जाता।

5. यौन हिंसा : गैर सांप्रदायिक स्थितियों के विपरीत सांप्रदायिक हिंसा की स्थितियों में यौन हिंसा के तहत स्त्रियों के शरीर का प्रयोग करके पीड़ित समुदाय को डराने और बेइज्जत करने की मंशा रहती है। इसलिए सांप्रदायिक हिंसा के जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए बलात्कार के साथ-साथ यौन हिंसा के दूसरे बहुत से अपराधों को विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए हम इस विधेयक में यौन अपराधों को शामिल करने की मांग करते हैं।

6. हरजाना : पीड़ित बचे व्यक्ति के लिए हरजाने को उसके उलंघ्य कानूनी आधिकार के रूप में विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए और इसके अंतर्गत सभी सरकारों के लिए बाध्यकारी मानदंड और पैमाने बनाए जाने चाहिए। कानून यह निर्दिष्ट करे कि पीड़ित बचे व्यक्ति को कैसे पहचाना जाएगा और सभी पीड़ितों पर लागू होने वाले मानक क्या होंगे।

यह काम शासन के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

7. पीड़ित के अधिकार : विधेयक में पीड़ितों और बचे लोगों के व्यापक अधिकारों को निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत एफ आई आर और दूसरे कानूनी दस्तावेजों की प्रतियों सहित सभी स्तरों पर कार्रवाई की जानकारी का अधिकार, मुकद्दमें के सभी स्तरों में भाग लेने और सुने जाने का अधिकार, शासन की लागत पर कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार और यदि शासन उनकी तरफ से ऐसा नहीं करता तो अपील करने के अधिकार को शामिल किया जाना चाहिए।

8. कमांड / उच्च जिम्मेदारी का मतलब है कि अपनी हैसियत के कारण उच्च (असैनिक या सैनिक) पदों पर आसीन व्यक्तियों या गैर शासन संगठनों के वरिष्ठ/उच्च अधिकारियों को अपने मातहतों के उन कृत्यों और अकृत्यों की पूरी जानकारी है और उन पर नियंत्रण है जिनकी वजह से सांप्रदायिक हिंसा होती है। इस सिद्धांत को विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

9. पूर्व मंजूरी : किसी अधिकारी के कृत्य या अकृत्य के कारण उसके खिलाफ मुकद्दमें के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की बात विधेयक में की गई है। इससे कानून का मकसद ही विफल हो जाता है और अपराधी बचे रहते हैं। पूर्व अनुमति की बजाय मुकद्दमा शुरू होने के समय अदालत इस बारे में फैसला करे।

नई दिल्ली

13 फरवरी, 2010

अनहद, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज एंड कन्फलिक्ट रेजोलूशन, दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परामर्श

अनुमोदनकर्त्ता

आसीमा सब्बरवाल, दिल्ली

अब्दुल शकील हक, नई दिल्ली

आफताब आलम

अजय कुमार सिंह, जन विकास, उड़ीसा

अमिताभ पांडेय

अनीता टैगोर, सहायक प्रोफेसर, दिल्ली

अनुभा रस्तोगी, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, नई दिल्ली

अपूर्वानंद, दिल्ली विश्वविद्यालय

असगर अली इंजीनियर, निदेशक, सी एस एस एस

आधेर मोहन, दि सियासत डेली, हैदराबाद

आतिश मंडल, हैरिटेज वर्ल्डवाइड

अविनाश कुमार, ऑक्सफैम इंडिया

अवनी सेठी, छात्र, बंगलौर

आजम खान (एडवोकेट) पिपुल्स रिसर्च सोसाइटी, भोपाल

आजम खान, हैदराबाद

बिरजु नायक, लोक राज, संगठन, दिल्ली

ब्रिजेंद्र सिंह सोडी, एल एफ एच आर आई, पंजाब

सी एक्का, विद्याज्योति, दिल्ली

चार्ल्स, विद्याज्योति, दिल्ली

छाया आर, लोकराज संगठन, दिल्ली

कॉलिन गोनस्लेव्ज, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, दिल्ली

दीपक भट्ट, पिपुल्स रिसर्च सोसाइटी, भोपाल

धीरेंद्र पांडा, कॉमन कन्सर्न, उड़ीसा

फराह नकवी, दिल्ली

फादर अजय, उड़ीसा

फादर आनंद मुत्तुंगल, कैथोलिक चर्च बिशप कौंसिल भोपाल

गगन सेठी, जन विकास, गुजरात

गौहर रजा, अनहद, दिल्ली

गायत्री शर्मा, पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवेलपमेंट, नई दिल्ली

हकीम खान, दिल्ली

हर्ष डोभाल, कंबेट लॉ

हर्ष कपूर, sacw@sacw.net

हर्ष मंदर, सामाजिक कार्यकर्त्ता, लेखक (अमन बिरादरी)

इरफान इंजीनियर, आई पी एस सी आर, मुंबई

जावेद खान, पैरवी, मध्य प्रदेश

जाविद लियाक, नई दिल्ली

जस्टिस के.के. उषा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय

जस्टिस राजिंदर सच्चर, पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय

जस्टिस सरदार अली खान पूर्व न्यायधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

कविता श्रीवास्तव, समाजिक कार्यकर्त्ता, राजस्थान

के.एस. रावल, सोशल लीगल इन्फॉर्मेशन सेंटर

लनसिंगली रोंगमी, एच आर एल एन और ऑल इंडिया क्रिश्चियन कौंसिल

एल एस हरडेनिया, नेशनल सेक्युलर फोरम, भोपाल

मधु चंद्रा, ऑल इंडिया क्रिश्चियन कौंसिल

मनीषा त्रिवेदी गुजरात

मानसी शर्मा, अनहद

मो. नूर आलम, मार्ग, नई दिल्ली

महताब आलम, ए पी सी आर, दिल्ली

मिहिर देसाई, एडवोकेट, मुंबई

मोहम्मद ए आबिद

मुजिबुर रहमान, सेंटर फॉर दलित एंड माइनोरिटी स्टडीज, जामिया मिलिया इसलामिया

नवकिशन सिंह (एडवोकेट) एल एफ एच आर आई, पंजाब

एन डी जयप्रकाश, दिल्ली साइंस फोरम

निशा अग्रवाल, ऑक्सफैम इंडिया

नूरजहां दीवान, बी एम एम ए

पी. विनय कुमार, कॉन्सटीट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम, हैदराबाद

प्रवीन के भारती, उमंग पार्टनर्स इन ह्यूमन डेवेलमेंट, नई दिल्ली

प्रोफैसर रूपरेखा वर्मा, पूर्व कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, साझी दुनिया लखनऊ

प्रोमिला लूंबा

पुश्कर राज, पी यू सी एल

आर. बनर्जी, नई दिल्ली

राकेश भारद्वाज–पीस

राम पुनियानी, सामाजिक कार्यकर्त्ता, मुंबई

रश्मि जैना, एडवोकेट, उड़ीसा

रूपेश कुमार, इन्सान एकता मुहिम, बिहार

सचिन पांड्या, गुजरात

साधना आर्य, सहेली

सज्जाद हसन, अमन बिरादरी

सतीश सहगल, दिल्ली

सौम्य उमा, विमन्स रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप

सीमा दुहान, अनहद

सीमा काजी, सी डब्ल्यू डी एस, नई दिल्ली

सीमा मिश्रा (एडवोकेट), मार्ग, दिल्ली

शबनम हाशमी, अनहद, दिल्ली

शफीक रहमान मुजाहिर, एडवोकेट, हैदाराबाद

शुभी द्विवेदी- आलि लखनऊ

श्वेता शालिनी, जस्टिस एंड पीस कमीशन

सुरभि चोपड़ा, अमन बिरादरी

सुरूर मंदर, अमन बिरारदी

तनवीर हुसैन, कश्मीर

तनवीर आलम, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑबजेक्टिव स्टडीज

तहमिना अरोड़ा, क्रिश्चन लीगल एसोसिएशन

उषा रामनाथन, सीनियर लॉ रिसर्चर, दिल्ली

वहीदा नयनार, विमन्स रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप मुंबई

विकास नारायण राय, आई पी एस, हरियाणा

विवेक शिवकुमार

वी. के. महाजन, दिल्ली

वृन्दा ग्रोवर, एडवोकेट, दिल्ली

योगेश दीवान, पिपुल्स रिसर्च सोसाइटी, भोपाल

जफर आगा

जहीरूद्दीन अली खान, सियासत, हैदराबाद

जाकिया सोमन, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन

जेबा, विविध विमन डॉकुमेंटेशन एंड रिसर्च सेंटर, जयुपर

परामर्श द्वारा समापन बयान

1. उद्देश्यों और कारणों का कथन : दिनांक 26 नवंबर 2009 । विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सांप्रदायिक हिंसा के निवारण और नियंत्रण के उपाय करें जिसने नागरिकों की शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मानवीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।

2. सांप्रदायिक हिंसा की परिभाषा : हम विधेयक की धारा 19(1) में दी गई सांप्रदायिक हिंसा की परिभाषा को अस्वीकार करते हैं। इस विधेयक के मूलाधार से उन नागरिकों को कोई सुरक्षा नहीं मिलती जिनकी सुरक्षा को उनकी धाार्मिक पहचान के कारण खतरा पैदा हो गया है। हम सांप्रदायिक हिंसा की निम्नलिखित परिभाषा का प्रस्ताव करते हैं : सांप्रदायिक हिंसा व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी समूह के जानमाल पर उनकी धाार्मिक पहचान के आधार पर लक्ष्यबद्ध हमला है जिसका अनुमान प्रत्यक्ष रूप से या हमले के स्वरूप या परिस्थितियों से लगाया जा सकता है।

3. सांप्रदायिक रूप से अशांत क्षेत्रों की घोषणा : यह राष्ट्रीय परामर्श कुछ क्षेत्रों को सांप्रदायिक रूप से अशांत क्षेत्र घोषित करने की विधेयक की योजना को पूरी तरह से अस्वीकार करता है और विधेयक के अध्याय दो को पूरी तरह से निकालने की मांग करता है। कानून ने शासन को पहले ही पर्याप्त शक्ति दे रखी है। लेकिन विशेष रूप से सांप्रदायिक हिंसा के दौरान अनुभव से पता चलता है कि शासन के कार्यकर्त्ता इस शक्ति का प्रयोग नहीं करते या न्यायसंगत प्रयोग नहीं करते । इसलिए राज्य तथा केंद्र सरकारों को और शक्ति देने से समस्या का निदान नहीं होगा। अपराधों और अशांत क्षेत्र के बीच सह संबंध की बात गलत, खतरनाक और अमान्य है। सांप्रदायिक हिंसा पर कानून में इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

4. बढ़ी हुई सजा : कानून के शासन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सजा अपराध की मात्रा के अनुरूप होनी चाहिए। गंभीर अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा होनी चाहिए। लेकिन इस विधेयक में यांत्रिक तरीके से सजा को दुगुना कर देने का उलटा असर होगा। सरकारी अधिकारियों की आपराधिकता के मामले में सरकारी पद से अयोग्यता, व्यावसायिक संबद्धता या सरकारी पद के लिए खड़े होने पर प्रतिबंध जैसे सजा के दूसरे तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए।

5. सरकारी सेवक की जवाबदेही : विधेयक की धारा 17 से सरकारी सेवक को जवाबदेह बनाने का मकसद पूरा नहीं होता। अपराध कानून के तहत यह अनिवार्य है कि कर्त्तव्य की कोताही सहित किसी अपराध को सिद्ध करने के लिए उसकी जानकारी और आपराधिक मंशा को सिद्ध किया जाना चाहिए। इस विधयेक में शामिल 'दुर्भावपूर्ण' और 'जानबूझ कर' जैसे शब्द जवाबदेही को और भी मुश्किल बना देंगे।

सद्भाव मानकर चलना : सांप्रदायिक हिंसा के निवारण और नियंत्रण के उद्देश्य से बनाए जा रहे कानून में 'सद्भाव' खंड के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे नैमी तौर पर मसौदे में शामिल कर लिया गया है। हम अधिकारियों की शक्तियों, कर्त्तव्यों और निरापदता के बारे में अध्याय-सात को हटाने की मांग करते हैं। शिकायत के मामले में जनसेवक द्वारा सद्भाव के साथ काम करने की बात को मानकर चलने की बजाय इस बार में राय बनाने का काम न्यायिक कार्रवाई के शुरू में ही आदलत पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

मुकद्दमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा : मुदद्दमे के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की अपेक्षा के कारण शासन एजेंसियों की अपने कृत्य–अकृत्यों के लिए पूर्ण निरापदता को ध्यान में रखते हुए हम मौजूदा प्रावधान में संशोधन के बारे में एक सुझाव देते हैं जिससे सरकारी सेवक को द्वेषपूर्ण और फिजूल के मुकद्दमे से बचाया जा सकेगा। पूर्व अनुमति की बजाय मुकद्दमा शुरू होने के समय अदालत इस बारे में फैसला करें। हम धारा 153 और 153बी के अंतर्गत पूर्व–अनुमतिकी अपेक्षा को समाप्त करने की मांग करते हैं।

कमांड / उच्च जिम्मेदारी : सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित किसी भी विधेयक में कमांड/उच्च जिम्मेदारी के सिद्धांत को शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह की जिम्मेदारी का मतलब है कि अपनी हैसियत के कारण उच्च (असैनिक या सैनिक) पदों पर आसीन व्यक्तियों या गैर शासन संगठनों के वरिष्ठ/उच्च अधिकारियों को अपने मातहतों के उन कृत्यों और अकृत्यों की पूरी जानकारी होती है और उन पर नियंत्रण रहता है जिनकी वजह से सांप्रदायिक हिंसा होती है। जब ये अधिकारी हिंसा को रोकने में अपनी जानकारी और प्राधिकार का प्रयोग नहीं करते तो उन्हें अपने मातहतों के कृत्यों या अकृत्यों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसलिए कमांड/उच्च जिम्मेदारी के सिद्धांत को कानून में समाविष्ट किया जाना चाहिए। केवल तभी हिंसा करने वालों को सजा और निवारण के कानूनी दायरे में लाया जा सकेगा।

अनुसूचित अपराध : सांप्रदायिक हिंसा की स्थितियों से स्पष्ट होता है कि इसमें किए गए अपराध आई पी सी और दूसरे संबंधित विधानों में गिनाए गए अपराधों तक सीमित नहीं होते। यह बात बलात्कार की संकुचित सांविधिक परिभाषा और उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की कमांड जिम्मेदारी के अभाव से स्पष्ट है।

विधेयक में नए अपराधों को परिभाषित किया जाना चाहिए और नए नियमों तथा प्रक्रियाओं में सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों और बचे लोगों द्वारा झेले गए अपराधों की वास्तविकता की पर्याप्त और समुचित अभिव्यक्ति होनी चाहिए। हम निम्नलिखित अपराधों को शामिल किए जाने की मांग करते हैं :

- गैर सांप्रदायिक स्थितियों के विपरीत सांप्रदायिक हिसा की स्थितियों में यौन हिंसा के तहत स्त्रियों के शरीर का प्रयोग करके पीड़ित समुदाय को डराने और बेइज्जत करनी की मंशा रहती है। इसलिए सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और इस तरह की हिंसा में अपराधियों को दंडित करने के लिए विधेयक में बलात्कार के अलावा अन्य यौन अपराधों को शामिल किया जाना चाहिए। हम बलात्कार, जबरन गर्भाधान, जबरन नसबंदी और यौन हिंसा के अन्य रूपों को शामिल करने की मांग करते हैं।
- अनुसूचित अपराधों में शामिल न किए गए अन्य अपराध जैसे कि उत्पीड़न, आई पी सी की धारा 34 और 107।
- हम धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के कुछ समूहों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार को अपराध माने जाने की मांग करते हैं।

  सांप्रदायिक उत्तेजना और हिंसा की स्थिति में यौन हिंसा को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य के उपयुक्त मानक विकसित किए जाने चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा के माहौल में स्त्रियां (एफ आई आर दर्ज कराने के लिए) पुलिस स्टेशन, (मेडिकल जांच के लिए) अस्पताल नहीं जा सकती और हिंसा के

बाद जब तक सुरक्षित और सामान्य माहौल नहीं बन जाता तब तक उनमें कानूनी कार्रवाई के लिए जरूरी आत्म विश्वास और क्षमता नहीं आती। इसलिए उपयुक्त साक्ष्य और प्रक्रिया संबंधी मानक जरूरी है। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

- पूरी जांच लिंग संवेदनशील तरीके से की जानी चाहिए।
- अपराध जिन उत्पीड़नकारी परिस्थितियों में किया गया है उन्हें न्यायिक स्तर पर समझा जाना चाहिए और इसलिए रिपोर्ट करने में देरी मेडिकल प्रमाण न होने या पीड़ित की गवाही की पुष्टि न होने का मामले पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता चाहिए।
- यौन संबंध के मामले में अपराधी द्वारा अपने बचाव के लिए सहमति की दलील को बिलकुल भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- सांप्रदायिक स्थिति में यौन हिंसा को हिरासत में बलात्कार माना जाना चाहिए क्योंकि भीड़ का पूरा नियंत्रण रहता है।
- इसलिए हिरासत में बलात्कार की तरह इन मामलों में भी अधिक दंड का प्रावधान विधेयक में किया जाना चाहिए और सिद्ध करने की जिम्मेदारी पीड़ित पर नहीं बल्कि अपराधी पर होनी चाहिए।
- सांप्रदायिक हिंसा के बचे व्यक्तियों को पीड़ित/गवाह सुरक्षा।
- मुकद्दमा लिंग संवेदनशील माहौल में चलाने के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि पीड़ित की तकलीफ कम हो।

6. जांच : जांच कार्य राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं और उसमें पक्षपात होता है, इसलिए न्याय प्रक्रिया में उत्पीड़नकारी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एफ आई आर दर्ज कराने में विलंब, महत्त्वपूर्ण साक्ष्य के अभाव, पुलिस द्वारा दर्ज बयानों में विसंगति से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। पीड़ित–गवाह यदि जिरह के दौरान ठीक पाए जाएं तो उनकी गवाही में थोड़ी विसंगति को नजरंदाज करके उसे मान्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

7. न्यायलय : न्यायपूर्ण मुकद्दमें के मानकों से समझौता किए बगैर मामले के समयबद्ध निपटान की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि स्थानीय न्यायालयों में निष्पक्ष मुकद्दमें को लेकर कोई आशंका हो या वहां पीड़ितों और गवाहों द्वारा अपनी बात कहे जाने के लिए अनुकूल माहौल न हो तो मामले को अंतरित करने के लिए विधेयक में उचित मार्गदर्शक सिद्धांत दिए जाने चाहिए।

8. गवाहों की सुरक्षा : पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा के लिए प्रावधान सतही और हास्यास्पद हैं। उनमें सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और विधि आयोग की सिफारिशों से भी तत्त्व ग्रहण नहीं किए गए हैं। मुकद्दमें से पहले, उसके दौरान और उसके बाद सभी चरणों में पीड़ित–गवाह को व्यापक सुरक्षा दी जानी चाहिए।

9. राहत, पुनर्वास और हरजाना : इस बारे में विधेयक में प्रावधान एकदम अपर्यात्त हैं और राहत, हरजाने और पुनर्वास के मामले में शासन प्राधिकारियों और अत्यधिक विवेकाधिकार दिए गए हैं। स्त्रियों को मामूली प्रतिनिधित्व और जिला,

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर परिषदों में प्रभावित पीड़ित समुदाय को प्रतिनिधित्व न दिए जाने के कारण ये परिषदें समावेशी नहीं बनतीं। स्थायी राष्ट्रीय परिषद बनाने की बजाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसी संस्थाओं को विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए।

हरजाना : सांप्रदायिक हिंसा के बारे में किसी भी प्रस्तावित कानून में पीड़ित बचे व्यक्ति के लिए हरजाने को उसके अलंघ्य कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और इसके अंतर्गत सभी सरकारों के लिए बाध्यकारी मानदंड और पैमाने बनाए जाने चाहिए। कानून यह निर्दिष्ट करे कि पीड़ित/बचे व्यक्ति को कैसे पहचाना जाएगा। यह काम शासन के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हरजाने संबंधी दिशानिर्देशों में बचाव, राहत, मुआवजा, बहाली, पुनर्वास और पुनरावृत्ति न होने की गारंटी का प्रावधान होना चाहिए। पुनर्वास उपायों में अन्य बातों के अलावा कम से कम हिंसा से पहले के स्तर तक और प्रभावित लोगों की इच्छा के अनुसार आजीविका और घर बनाने के लिए नरम शर्तों पर ऋण और जमीन दी जानी चाहिए और हिंसा के दौरान नष्ट पूजा स्थलों का फिर से निर्माण किया जाना चाहिए। हरजाना उपाय निर्धारित करते समय प्रभावित समुदाय के सदस्यों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए।

आंतरिक विस्थापित व्यक्ति : विधेयक में आंतरिक विस्थापित व्यक्तियों के अधिकारों को स्वीकार किया जाना चाहिए। हरजाना आंतरिक विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दिशा–निर्देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दिया जाना चाहिए। इन दिशा–निर्देशों को एक राष्ट्रीय नीति के रूप में अंगीकार कर लिया जाना चाहिए। एक नोडल एजेंसी बनाई जानी चाहिए ताकि आंतरिक विस्थापितों की हकदारी और सुरक्षा के लिए उचित फ्रेमवर्क बन सके।

10. कोई भेदभाव नहीं खंड : हम मुआवजे और राहत के मामले में धारा 58 में समाविष्ट कोई भेदभाव नहीं सिद्धांत का स्वागत करते हैं। इस सिद्धांत को विधेयक के सभी खंडों में लागू किया जाना चाहिए।

11. विशेष सरकारी वकील : विशेष सरकारी वकील पीड़ितों और बचे लोगों के साथ परामर्श करके नियुक्त किया जाना चाहिए और इससे उनके मन में विश्वास की भावना पैदा होनी चाहिए।

12. पीड़ितों के अधिकार: विधेयक में पीड़ितों और बचे लोगों के व्यापक अधिकारों को निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत एफ आई आर और दूसरे कानूनी दस्तावेजों की प्रतियों सहित सभी स्तरों पर कार्रवाई की जानकारी का अधिकार, मुकद्दमें में सभी स्तरों में भाग लेने और सुने जाने का अधिकार, शासन की लागत पर कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार और यदि शासन उनकी तरफ से ऐसा नहीं करता तो अपील करने के अधिकार को शामिल किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा के सभी पीड़ितों और बचे लोगों को उसी पैमाने पर कानूनी सहायता दी जानी चाहिए जिस पर शासन कर्मियों को दी जाती हैं।